राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— पीसीपीएनडीटी सैल/2010/523 दिनांकः— 07/12/10

परिपत्र क्रमांक — 11/2010

पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के अन्तर्गत, निरीक्षण प्रक्रिया को सुद्दढ करने हेतु राज्य में PCPNDT INSPECTION REPORT (PIR) प्रणाली लागू करने के क्रम में दिशा—निर्देश

1. राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि, गर्भधारण—पूर्व और प्रसव—पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (इसके पश्चात अधिनियम सम्बोधित किया जायेगा) के अन्तर्गत किये जा रहे निरीक्षणों से संबंधित, वर्तमान में जिलों में जो निरीक्षण प्रकिया अपनाई जा रही है, वह प्रभावी नहीं है एवं अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन लिये आवश्यक है कि, निरीक्षण प्रक्रिया को सुद्दढ रूप से लागू किया जावे।
2. यहाँ यह भी निर्देशित किया जाना समीचीन है कि, प्रत्येक अधिनियम (Act) के अन्तर्गत संधारित समस्त अभिलेखों का, अधिकृत दस्तावेजों पर ही संधारण किया जाना विधिक अनिवार्यता है, वर्तमान में जिला स्तर पर अधिनियम के अन्तर्गत संधारित अभिलेख में एकरूपता नहीं होने एवं अधिकृत दस्तावेजों पर संधारित नहीं होने के कारण, विधिक ग्राहयता (Legal Admissbility) पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि अधिनियम के अन्तर्गत संधारित समस्त अभिलेख विधिक प्रावधानों के अनुरूप होकर, अधिकृत व विश्वसनीय हों, जिसके फलस्वरूप सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम के अन्तर्गत संधारित अभिलेख को, विधिक अनिवार्यता उत्पन्न होने पर युक्तियुक्त आधार से, विधिक कसौटी पर संदेह से परे प्रमाणित किया जा सके।
3. राज्य में अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन एवं निरीक्षणों से संबंधित, अभिलेख संधारण में समानता के परिप्रेक्ष्य में तथा निरीक्षणों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निरीक्षणों के सम्बन्ध में एक प्रारूप PCPNDT INSPECTION REPORT (PIR) प्रणाली लागू की जावे, फलस्वरूप पीआईआर प्रणाली को दिनांक 01.01.11 से निम्न प्रकार से लागू करने के लिये एतद द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं :—
    1. निदेशालय द्वारा समस्त समुचित प्राधिकारियों को निरीक्षण के लिए पीआईआर प्रारूप का रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा, जिसके प्रत्येक प्रारूप पर एक अलग क्रमानुसार पीआईआर प्रारूप की संख्या भी अंकित होगी अर्थात उस अधिकृत दस्तावेज पर ही निरीक्षण कार्यवाही सम्पन्न की जावे। प्रत्येक निरीक्षण को एक स्थाई पीआईआर संख्या आवंटित की जाकर, समुचित प्राधिकारियों द्वारा स्थाई अभिलेख संधारित किया जावे एवं समुचित प्राधिकारियों द्वारा उक्त प्रारूप को क्रमानुसार उपयोग में लाया जावे। एक बार उपयोग में लाऐ गये पीआईआर को नष्ट नहीं किया जाकर यह एक स्थाई संरक्षित अभिलेखों में रखा जावेगा।
    2. निदेशालय द्वारा प्रत्येक समुचित प्राधिकारी को वितरित उक्त पीआईआर रजिस्टर पर राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ की सील लगी होगी एवं उस रजिस्टर में उपलब्ध पेज संख्या को प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ के द्वारा प्रमाणित किया जाकर, संबंधित

पीआईआर रजिस्टर समुचित प्राधिकारियों को निदेशालय के द्वारा वितरण किये जायेंगे। एवं राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में उन वितरण किये गये पीआईआर रजिस्टरों का स्थाई रिकार्ड संधारित किया जावे। उक्त प्रणाली लागू होने के पश्चात इस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित समस्त निरीक्षण, समुचित प्राधिकारियों द्वारा पीआईआर के प्रारूप में दर्ज किये जाकर, पीआईआर की एक प्रमाणित फोटो प्रति तुरंत राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को प्रेषित की जावे ताकि राज्य स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण रखा जा सके।

3. पीआईआर के प्रत्येक प्रारूप के एक क्रमांक पर दो प्रतियां (Duplicate) होंगी, जिसमें मूल प्रति निरीक्षण पत्रावली में तथा कार्बन प्रति पीआईआर रजिस्टर में स्थाई रूप से संधारित होकर संरक्षित होगी। प्रत्येक निरीक्षण को समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रमानुसार/वर्षवार क्रमांक दिया जाकर प्रत्येक निरीक्षण का प्रकरण/ निरीक्षण कमांक आवंटित किया जावेगा अर्थात, उदाहरणस्वरूप उपखण्ड समुचित प्राधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर के द्वारा 01 जनवरी 2011 को यदि निरीक्षण किया गया है तो पीआईआर कमांक 1/2011 दिनांक 01.01.2011 तथा समुचित प्राधिकारी जयपुर प्रथम अंकित किया जाकर, प्रकरण को चिन्हित किया जावेगा।इस प्रकार यह प्रकरण उक्त पीआईआर नम्बर से स्थाई नामित होगा, इसके पश्चात जयपुर प्रथम समुचित प्राधिकारी द्वारा किये जा रहे समस्त निरीक्षण उसी पीआईआर रजिस्टर में कमानुसार दर्ज किये जाकर, स्थाई अभिलेख संधारित किया जावे तथा एक पीआईआर रजिस्टर पूर्ण उपयोग में लाया जाने पर, दूसरा पीआईआर रजिस्टर को प्रयोग में लाया जावेगा। उक्त रजिस्टर में से कोई भी प्रारूप, कारणवश प्रयोग में नहीं लिये जाने अथवा प्रयोग के दौरान गलत भर जाने के फलस्वरूप, निरस्त किया जाकर उसकी प्रति भी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को अविलम्ब प्रेषित की जावेगी अर्थात पीआईआर के समस्त प्रारूपों की प्रमाणित प्रतियां कमानुसार ही राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में स्वीकार की जा सकेगी।
4. प्रत्येक समुचित प्राधिकारी के द्वारा क्रमानुसार निरीक्षण पर क्षेत्रवार, क्रमानुसार वार्षिक अवधि के पीआईआर नम्बरों को पंजीकृत किया जावे जो 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक एक वर्ष के लिए क्रमबद्ध संख्या के रूप में पंजीकृत होंगे एवं नए वर्ष पुनः क्रमांक 1 से पीआईआर पंजीकरण प्रारम्भ होंगा।
5. संबंधित समुचित प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उनको प्राप्त पीआईआर रजिस्टर पूर्ण उपयोग लेने से पूर्व ही, अतिरिक्त पीआईआर रजिस्टर की प्रतियां राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ से प्राप्त की जाकर, अपने पास रिजर्व में रखी जावे तथा पीआईआर रजिस्टरों को समुचित प्राधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा जावें।
6. राज्य सरकार द्वारा यूएनएफपीए (UNFPA) के सहयोग से एक शिकायत प्राप्ती वेवसाईट www.hamaribeti.nic.in शुरू की गई है। जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के उल्लघंन के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उक्त शिकायते राज्य, जिला एवं उपखण्ड स्तर पर पहुँचती है। जिसका विधिक निस्तारण करना संबंधित समुचित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है। उक्त शिकायत के निस्तारण के दौरान, समुचित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाकर, निरीक्षण से संबंधित पीआईआर क्रमांक का उल्लेख, शिकायत पर की गई कार्यवाही से संबंधित विवरण में बेवसाईट पर दर्ज किया जावे, जिससे पीआईआर नम्बर, शिकायत के निस्तारण पश्चात स्थाई रूप से बैबसाईट पर कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध हो सके।

7. राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी परिपत्र संख्या 7/2010 की अनुपालना में खोले गये निरीक्षण/परिवाद रजिस्टर में प्रत्येक पीआईआर को कमानुसार दर्ज किया जाकर स्थाई अभिलेख संधारित किया जावे।

4. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि, समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जावे तथा इस पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित पालना रिपोर्ट पीआईआर प्रणाली लागू होने के 7 दिवस में राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें एवं उक्त आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश 01 जनवरी 2011 से प्रभावशील होंगे।

(बी. एन. शर्मा आई.ए.एस.)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।
3. सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. डॉ0 (श्रीमती) परम नवदीपसिंह, विधायक, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।
5. राज्य नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
7. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एंव जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
9. उपनिदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
10. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
11. विधि विशेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
12. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
13. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

(डॉ0 प्रीतम बी यशवन्त आई.ए.एस.)
विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, राजस्थान, जयपुर

परिपत्र क्रमांक — 11/2010